आवेदन - पत्र

"आकार-2022"
पारंपरिक शिल्प एवं कला प्रशिक्षण शिविर
दिनांक 13 से 21 मार्च 2022 तक
संस्कृति विभाग, महंत घासीदास स्मारक परिसर रायपुर

फोटो

पंजीयन क्रमांक :..... **दिनांक :.....**

निवेदन है कि मैं संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित पारंपरिक शिल्प एवं कला प्रशिक्षण शिविर में भाग लेना चाहता/चाहती हूं।

मैने इस प्रशिक्षण शिविर हेतु जारी निर्देशों को सतर्कता से पढ़ लिया है व मैं उन निर्देशों का पालन करूंगा/करूंगी।

श्री/श्रीमती/सुश्री/कुमारी :..... पिता/पति का नाम :.....

आयु :..... प्रशिक्षण विधा/आर्ट का नामः.....

पता :.....

मो.नं. :..... **समयः सुबह 7 से 10 बजे/सायं 4.00 से 7.00 बजे तक**

दिनांक :..... **प्रार्थी/अभिभावक के हस्ताक्षर**

विधाएं/आर्ट : बांस शिल्प, मधुबनी आर्ट, काष्ट कला, चित्रकला, रजवार भित्ती चित्र, गोदना आर्ट, नाटक, नृत्य, टेराकोटा, जपानी पेपर कटिंग, क्ले आर्ट, पैरा आर्ट, ग्लास पेंटिंग, ड्राई फ्लावर मेंकिग, धान ज्वेलरी मेंकिग, म्यूरल आर्ट।

18 वर्ष से कम आयु के प्रशिक्षुओं के लिए अभिभावक के हस्ताक्षर भी अनिवार्य है।

-: <u>पावती/रसीद</u> :-

पंजीयन क्रमांक :..... **चयनीत विधा/आर्ट :** ..... **दिनांक :.....**

आकार-2022 पारंपरिक शिल्प एवं कला प्रशिक्षण शिविर, महन्त घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर, रायपुर
(दिनांक .....)

शिफ्ट : सुबह 7:00 से 10.00 बजे/ सायं 4.00 से 7.00 बजे तक।

विधाएं/आर्ट : बांस शिल्प, मधुबनी आर्ट, काष्ट कला, चित्रकला, रजवार भित्ती चित्र, गोदना आर्ट, नाटक, नृत्य, टेराकोटा, जपानी पेपर कटिंग, क्ले आर्ट, पैरा आर्ट, ग्लास पेंटिंग, ड्राई फ्लावर मेंकिग, धान ज्वेलरी मेंकिग, म्यूरल आर्ट।

आवेदक का नाम : श्री/श्रीमती/सुश्री/कुमारी :.....पिता श्री .....

पंजीयन शुल्क : रूपये 100/- (एक सौ रूपये) मात्र प्राप्त हुआ।

प्रशिक्षक के हस्ताक्षर **प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर** **प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर**

नोट : प्रशिक्षु को कार्यालय द्वारा प्राप्त पावती/रसीद प्रतिदिन साथ में लाना अनिवार्य है।

प्रशिक्षण शिविर हेतु निर्देश

1. प्रशिक्षण शिविर में पंजीयन के लिए आवेदन पत्र आकार प्रशिक्षण कार्यालय से कार्यालयीन समय में दिये गये निश्चित तिथि में प्रदान किया जायेगा।
2. प्रशिक्षण शिविर कुल अवधि 09 दिवस होगी, जिसमें दो शिफ्टों (सुबह 7.00 से 10.00 बजे तथा सायं 4.00 से 7.00 बजे) में प्रशिक्षण दिया जावेगा (नोटः 02 दिवस होली अवकाश)।
3. यदि प्रशिक्षु एक से अधिक (अधिकतम दो विधा) पर प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, तो उन्हें प्रत्येक विधा के लिए अलग-अलग पंजीयन पत्र जमा करना होगा एवं प्रशिक्षण शुल्क भी विधा अनुसार लिया जाएगा।
4. प्रशिक्षण हेतु प्रवेश के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में अन्य विधाओं में परिवर्तन नहीं होगा तथा किसी भी परिस्थिति में जमा राशि वापस नहीं किया जावेगा।
5. आवेदक को आवेदन पत्र पर एक पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा करना आवश्यक है। साथ ही परिचय पत्र हेतु एक अतिरिक्त फोटो आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा।
6. प्रत्येक विधा में प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षुओं की अधिकतम संख्या सीमित रहेगी एवं पहले प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता दी जाएगी।
7. 18 वर्ष से कम आयु के प्रशिक्षुओं के आवेदन पत्र में अभिभावक के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
8. प्रशिक्षण विशेषतः बालक/बालिकाओं तथा छात्र/छात्राओं हेतु है, पालकों एवं अन्य व्यक्तियों को प्रवेश हेतु विधाओं में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जावेगा।
9. आकार प्रभारी द्वारा आवश्यकतानुसार किसी एक विधा में प्रशिक्षुओं की संख्या अधिक होने पर अन्य विधा में स्थानांतरण किया जा सकता है, जो प्रशिक्षुओं को मान्य होगा।
10. शिविर के लिए प्राप्त आवेदनों पर अंतिम निर्णय जिला कलेक्टर का होगा।
11. प्रशिक्षण पूर्ण होने पर संस्कृति विभाग द्वारा प्रशिक्षुओं को प्रमाण-पत्र दिये जाएंगे।
12. शिविर के अनुशासन का पालन करना प्रत्येक प्रशिक्षु के लिए अनिवार्य होगा, विपरीत स्थिति में पंजीयन रद्द कर प्रशिक्षु का प्रशिक्षण समाप्त किया जा सकता है।
13. स्थानीय आवश्यकतानुसार एवं कलागुरूओं की उपलब्धतानुसार विधाओं में परिवर्तन किया जा सकता है।
14. सामग्री/कच्चा माल प्रशिक्षुओं को लाना होगा एवं बनी हुई सामग्री अपने साथ ले जा सकते हैं।
15. प्रशिक्षुओ के सामग्री/शिल्प/कला के भंडारण/सुरक्षा की जिम्मेदारी विभाग की नही होगी तथा सामग्री प्रतिदिन लाने-ले-जाने की व्यवस्था प्रशिक्षुओं की होगी।
16. कलागुरू से सामग्री विवरण प्राप्त कर संबंधित दुकान/मार्केट की जानकारी लेकर सामग्री स्वयं क्रय करें।
17. दुकान/मार्केट में सामग्री उपलब्ध न होने पर कलागुरू से उक्त प्रत्येक सामग्रियों की मूल्य सूची प्राप्त कर एवं अपने अभिभावक की सहमति/बाजार से तुलना कर सामग्री क्रय कर सकते हैं, सामग्री के मूल्य से संबंधित विवाद पर विभाग की जवाबदारी नहीं होगी।
18. प्रत्येक प्रशिक्षु केवल एक शिल्प/कला का निर्माण कर सकता है, एक से अधिक शिल्प/कला का निर्माण समान रूप से सभी प्रशिक्षुओं को मौका मिलने की शर्त पर दिया जायेगा।
19. किसी भी कला/शिल्प को बनाने से पूर्व अधिकतम लागत कलागुरू से प्राप्त कर उसी लागत के अंतर्गत शिल्प कला निर्माण करे।
20. पंजीयन शुल्क राशि रू. 100/- मात्र प्रत्येक विधा के लिए निर्धारित है।

प्रभारी अधिकारी